

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 173 / 2009
संस्थित दिनांक 08.05.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रु द्ध

1. रामपाल पिता जगन्नाथ यादव, आयु—50 वर्ष,
2. विशाल पिता बिंदादीन यादव, आयु—29 वर्ष,
3. बिंदा उर्फ बिंदादिन पिता जगन्नाथ यादव, आयु—54 वर्ष,
सभी का व्यवसाय—खेती,
4. लक्ष्मीबाई पति बिंदादिन यादव, आयु—40 वर्ष, गृहकार्य,
निवासीगण—बरुफाटक, तह.ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्तगण द्वारा अधिवक्ता — श्री बी. के. सत्संगी

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 30.07.2016 को घोषित)

1— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 67 / 2009 के आधार पर दिनांक 10.04.2009 को सुबह लगभग 4 बजे ग्राम बरुफाटक में फरियादी राजेन्द्र के घर के सामने उसे लोक स्थान पर मां-बहन की अश्लील गालियां देने तथा फरियादी राजेन्द्र, उसकी मां फुलजीबाई और पिता कुंजीलाल को स्वैच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अनुसरण में अभियुक्तगण द्वारा उन्हें सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति करने तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के कारण भादवि की धारा 294, 323/34 (दो बार) तथा 506 (भाग-दो) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप हैं। प्रकरण में पश्चात में दिनांक 25.07.2016 को अतिरिक्त रूप से अभियुक्तगण के विरुद्ध फरियादी राजेन्द्र को उक्त मारपीट में स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने के कारण भादवि की धारा 325/34 के अपराध का आरोप बढ़ाया गया है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी, अभियुक्तों को जानते हैं, वे आपस में रिश्तेदार हैं तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्तों ने भी इस प्रकरण के फरियादी पक्ष के विरुद्ध इसी घटना दिनांक को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसका आपराधिक प्रकरण क्रमांक 183 / 2009 है, जिसका भी निर्णय आज ही घोषित किया जा रहा है।

3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2009 को फरियादी राजेन्द्र यादव ने थाना ठीकरी में आकर अभियुक्तों के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम बरूफाटक में रहता है, रात को वह उसके घर के सामने सोया था, पास में उसकी मां और पिताजी सोये हुए थे। सुबह लगभग 4 बजे आरोपी रामपाल, उसकी भाभी लक्ष्मीबाई व भाई बिंदा और भतीजा विशाल हाथ में लकड़ी लेकर घर के सामने आये तथा मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे, तब उसकी नींद खुली, सभी के हाथ में लट्ठ थे और कहने लगे कि उसने ठाकुरलाल के मकान पर कब्जा कर रखा है, फिर चारों ने मिलकर लकड़ी से उसके साथ मारपीट की, उसकी मां व पिता बीच-बचाव करने आये तो रामपाल ने उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट में उसे सिर में तथा दोनों हाथ की अंगुली व कलाई और पीठ में चोटें आईं तथा उसके पिता कुंजीलाल को दाहिने पैर के घुटने के उपर तथा मां फुलजीबाई को माथे पर, दाहिने हाथ की कलाई, बाएं हाथ की भुजा व पीठ में चोटें आई हैं। मारपीट के बाद रामपाल ने कहा कि ठाकुरलाल के मकान का कब्जा नहीं छोड़ा तो किसी दिन वह जान से खतम कर देगा। फरियादी राजेन्द्र ने अपने माता-पिता के साथ उक्त आशय की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर करने के आधार पर थाने पर अपराध क्रमांक 67/2009 दर्ज कर साक्षियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बाद सम्पूर्ण विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय व पश्चात में मेरे द्वारा अभियुक्तों/अधिवक्ता को भादवि की धारा 294, 323/34 (दो बार), 506 (भाग-दो) व 325/34 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तों/अधिवक्ता ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण चाहा। दंप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य देना प्रकट करते हुए, धारा 315 दंप्रसं. के अंतर्गत बचाव में स्वयं अभियुक्त रामपाल (ब.सा.-1) के कथन कराये गये हैं।

5— प्रकरण के युक्तियुक्त निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या अभियुक्त रामपाल ने घटना दिनांक 10.04.2009 को सुबह लगभग 4 बजे बरूफाटक में फरियादी राजेन्द्र के घर के सामने उसे लोक स्थान पर मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
ब	क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तों ने फरियादी राजेन्द्र, उसकी मां फुलजीबाई व पिता कुंजीलाल को स्वैच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अनुसरण में उन्हें सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से स्वैच्छया मारकर उपहति कारित की ?

क्र.	विचारणीय प्रश्न
स	क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तों ने मिलकर फरियादी राजेन्द्र को स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अनुसरण में राजेन्द्र के साथ लकड़ी, लट्ठ आदि से स्वैच्छया मारपीट कर उसे घोर उपहति कारित की ?
द	क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त रामपाल ने फरियादी राजेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

– विचारणीय प्रश्न कमांक 'ब' एवं 'स' पर सकारण निष्कर्ष –

6— प्रकरण की परिस्थितियों में साक्ष्य के दोहराव को रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

7— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी एवं आहत साक्षी राजेन्द्र (अ.सा.-2) का कथन है कि वह उपस्थित अभियुक्तों को जानता है। घटना लगभग 6-7 वर्ष पूर्व सुबह 4 बजे की है, उस दिन रात्रि 11-12 बजे वह इंदौर से अपने घर आया था तथा भोजन के बाद अपने माता-पिता के साथ घर के सामने सो गया। सुबह लगभग 4 बजे अभियुक्तगण उसके यहां आए थे और अभियुक्तों ने उनके साथ लाठी व डण्डों से मारपीट की थी, जिससे उसे सिर में व दोनों हाथों में चोटें आईं और उसके पिता कुंजीलाल व माता फुलजीबाई को भी चोटें आईं थीं और उसके दोनों हाथों में अस्थिभंग हो गया था, तब उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी-1 की थाना ठीकरी पर की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी का यह भी कथन है कि उसका प्रारम्भिक ईलाज ठीकरी में हुआ उसके बाद जिला चिकित्सालय, बड़वानी में हुआ था।

8— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह कक्षा 8वी तक पढ़ा है, उसे घटना की दिनांक, दिन और वर्ष नहीं मालूम, किन्तु साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्तगण और उसका मकान दूरी पर है तथा आगे स्पष्ट किया है कि पास-पास लगे हुए हैं। साक्षी ने व्यक्त किया कि अभियुक्तगण और वे रिश्तेदार हैं तथा उनका और अभियुक्तगण का मकान को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा है और उनकी बोलचाल नहीं है।

9— इस साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से दिए गए सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस दिन विवाद हुआ उसी दिन अभियुक्तों ने भी उनके विरुद्ध थाना ठीकरी में रिपोर्ट की थी, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्तों ने उनके साथ लट्ठ से कोई मारपीट नहीं की थी अथवा उसने व उसके पिता ने अभियुक्तों के साथ मारपीट की थी। साक्षी ने आगे स्पष्ट किया कि विवाद के समय अभियुक्तगण थे, उनके अतिरिक्त कोई नहीं था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि विवाद के सुबह 4 बजे का समय था, इसलिए कोई नहीं था। इस साक्षी ने

प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय अंधेरा था और सार्वजनिक लाईट भी बंद थी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी और रिपोर्ट में क्या लिखा है, उसे नहीं मालूम और पुलिस ने उसे नकल भी नहीं दी थी, किन्तु साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने असत्य रिपोर्ट की है।

10— अभियोजन साक्षी आहत फुलजीबाई (अ.सा.-1) का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानती है। फरियादी राजेन्द्र उसका पुत्र है। घटना 6-7 वर्ष पूर्व सुबह 4 बजे की है, गर्मी का मौसम होने से वह, उसका पुत्र राजेन्द्र और उसका पति कुंजीलाल घर के बाहर सोये हुए थे, तभी 5 व्यक्ति आये थे। उनका अभियुक्तगण से मकान का विवाद चल रहा है। घटना वाले दिन उनके उपर हमला किया था। रामपाल ने उसके पति कुंजीलाल को तथा उसे सिर में लट्ठ मार दिया था और राजेन्द्र को भी लट्ठ मार दिया था, जिससे सिर तथा शरीर के अन्य भागों पर भी चोटें आई थीं तथा अन्य अभियुक्तों ने भी उनके साथ मारपीट की थी। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है। घटना 6-7 वर्ष पूर्व सुबह 4 बजे की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उनका अभियुक्तों से पूर्व से विवाद चल रहा है, इसी कारण उनकी आपस में बोलचाल बंद है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तगण उनके रिश्तेदार नहीं हैं, समाज के हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण का मकान उनके मकान से 2 किमी. की दूरी पर है और विवाद में किसने किसको मारा, उसे नहीं मालूम। साक्षी ने आगे स्पष्ट किया है कि उसे लट्ठ मारा था और उसके पुत्र के विरुद्ध भी रामपाल ने रिपोर्ट की है। लेकिन बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह असत्य कथन कर रही है।

11— उप निरीक्षक व्ही.एस.कुशवाह (अ.सा.-4) का कथन है कि दिनांक 10.04.2009 को फरियादी राजेन्द्र की रिपोर्ट के आधार पर उसने अभियुक्तों के विरुद्ध थाने पर अपराध क्रमांक 67/2009 प्रपी-1 का दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और आहत राजेन्द्र, कुंजीलाल तथा फुलजीबाई को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फरियादी राजेन्द्र ने मौखिक रिपोर्ट लिखायी थी और अभियुक्त रामपाल ने भी राजेन्द्र, कुंजीलाल और फुलजीबाई के विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/2009 की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

12— डॉ. आर. एस. मुजाल्दा (अ.सा.-3) का कथन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में दिनांक 10.04.2009 को उसने थाना ठीकरी के आरक्षक संजय द्वारा लाये जाने पर आहत राजेन्द्र पिता कुंजीलाल, आयु 36 वर्ष, निवासी बरुफाटक को मेडिकल परीक्षण करने पर उसके सिर के मध्य भाग पर कटा-फटा घाव, आकार 1 गुणा आधा इंच, मांस की गहराई तक और दाहिने हाथ की कलाई पर सूजन 3 गुणा 3 इंच की होना तथा दाहिनी कोहनी में रगड़ 2 गुणा 1 इंच की होना, दाहिने हाथ की अंतिम अंगुली में कटा-फटा घाव, आकार आधा गुणा आधा इंच का होना और बाएं हाथ में सूजन 3 गुणा 3 इंच की होना, पीठ में बाईं ओर सजन 5 गुणा 2 इंच की, कमर में दर्द व सूजन, पीठ में बाईं ओर सूजन 5 गुणा 2 इंच की तथा कमर में दर्द व सूजन 3 गुणा 2 इंच होना पायी थी, जो

किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आई होकर उसके परीक्षण के 4 घण्टे के भीतर की थी। उसने आहत को आई चोट क्रमांक 1, 2 व 5 की प्रकृति जानने के लिये एक्स-रे करवाने की सलाह दी थी, शेष चोटें सामान्य प्रकृति की थीं। साक्षी ने उक्त आहत के संबंध में किए गए मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट प्रपी-2 को भी प्रमाणित किया है।

13— इसी दिनांक को उसके द्वारा इसी आरक्षक द्वारा लाये जाने पर आहत कुंजीलाल पिता महाराजदीन, आयु 75 वर्ष, निवासी बरूफाटक के मेडिकल परीक्षण करने पर उसके दाहिने घुटने में सूजन 1 गुणा 1 इंच की होना पायी थी, जो किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होकर उसके परीक्षण के 4 घण्टे के भीतर की थी। उक्त आहत के संबंध में दिया गया चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा लाये जाने पर आहत फुलजीबाई पति कुंजीलाल, आयु 60 वर्ष, निवासी बरूफाटक के मेडिकल परीक्षण करने पर उसके सिर के अग्रभाग पर कटा-फटा घाव आधा गुणा आध इंच, मांस की गहराई तक तथा दाहिने हाथ पर सूजन 2 गुणा 2 इंच, बाएं हाथ पर भी सूजन 2 गुणा 2 इंच व बाएं हाथ की कलाई में भी सूजन 2 गुणा 2 इंच की किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होकर उसके परीक्षण के 4 घण्टे के भीतर की थीं, जिनकी प्रकृति जानने के लिये एक्स-रे हेतु जिला चिकित्सालय बड़वानी जाने की सलाह दी थी। साक्षी ने उक्त आहत के लिए गए चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी-4 को भी प्रमाणित किया है।

14— साक्षी का आगे यह भी कथन है कि आहतगण की एक्स-रे प्लेट्स का परीक्षण करने पर आहत फुलजीबाई को कोई अस्थिभंग नहीं पाया था, किन्तु आहत राजेन्द्र की एक्स-रे प्लेट के परीक्षण में उसके दाहिने हाथ की अल्ना हड्डी के निचले भाग में एवं बाएं हाथ की अल्ना बोन में मध्य में अस्थि भंग होना पाया था। साक्षी ने राजेन्द्र के एक्स-रे परीक्षण के संबंध में दी गई रिपोर्ट प्रपी-6 को भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहतगण को आई जैसी चोटें गिरने से भी आना सम्भव हैं, लेकिन आहत राजेन्द्र को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया है कि उसे गिरने से चोटें आई थीं। ऐसी स्थिति में चिकित्सक साक्षी की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

15— मामले के अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी सहायक उप निरीक्षक कमल दवाने (अ.सा.-5) का कथन है कि दिनांक 10.04.2009 को थाना ठीकरी पर थाने के अपराध क्रमांक 67/2009 की विवेचना के दौरान उसने फरियादी ठाकुर की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी-6 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी राजेन्द्र तथा साक्षी कुंजीलाल व लक्ष्मीबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी बिंदा के पेश करने पर एक लकड़ी बबूल की तथा शेष आरोपी रामपाल, लक्ष्मीबाई व विशाल से भी एक-एक लकड़ी बबूल की जप्त कर, प्रपी-7 लगायत 10 के जप्ती पंचनामे बनाये थे, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था

तथा आहत राजेन्द्र पिता कुंजीलाल के एक्स-रे में अस्थिभंग पाये जाने से धारा 325 भादवि बढ़ाई गई थी। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में विवेचक साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जिन साक्षियों के कथन लिए थे, वे एक ही परिवार के हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट की गई थी, जिसमें उसने विवेचना की और अपराध क्रमांक 66/2009 की भी विवेचना की, लेकिन साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अपनी विवेचना को बल देने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

16— मामले में बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी के रूप में धारा 315 दंप्रसं. के तहत स्वयं आरोपी रामपाल का परीक्षण कराया गया है। अभियुक्त रामपाल (ब.सा.-1) का कथन है कि घटना दिनांक 10.04.2009 को ही उसने फरियादी राजेन्द्र, फुलजीबाई और कुंजीलाल के विरुद्ध प्र.डी-1 की रिपोर्ट लिखायी थी, जिसके आधार पर उसका व लक्ष्मीबाई का मेडिकल परीक्षण कराया गया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र.डी-2 व 3 हैं और उक्त रिपोर्ट के आधार पर राजेन्द्र व अन्य के विरुद्ध प्रकरण इसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में बचाव साक्षी अभियुक्त रामपाल ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने व उसके परिवार के सदस्यों ने राजेंद्र, कुंजीलाल व फुलजीबाई के साथ इसी दिनांक को मारपीट की थी, जिसमें उन्हें चोटें आई थीं, किन्तु बचाव साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना सुबह 4 बजे की उनके मोहल्ले की है, किन्तु इस सुझाव से इन्कार किया है कि उनके द्वारा की गई मारपीट में फरियादी पक्ष को चोटें आई थीं अथवा वह स्वयं को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

17— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण और फरियादी पक्ष निकट के रिश्तेदार हैं और आरोपीगण ने भी फरियादी पक्ष के विरुद्ध इसी घटना को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। उभयपक्ष के मध्य मकान के कब्जे को लेकर पूर्व से विवाद है और अभियुक्तों द्वारा बचाव के दौरान यह घटना घटित हुई है। उनका यह भी तर्क है कि घटना के समय अंधेरा होना राजेंद्र (अ.सा.-2) ने स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में भी अभियुक्तों की पहचान शंकास्पद हो जाती है।

18— यह सही है कि प्रकरण के अभियुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण के फरियादी पक्ष के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 183/2009 लम्बित है, लेकिन उक्त घटना दिनांक के समय व स्थान अलग-2 हैं। ऐसी स्थिति में दोनों प्रकरणों का काउंटर प्रकरण होना प्रमाणित नहीं होता है। अभियुक्तों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी राजेन्द्र के साथ सख्त एवं बोथरी वस्तु लट्ठ आदि से मारपीट किया जाना परीक्षित साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है। फरियादी व आहत राजेन्द्र (अ.सा.-2) का कथन है कि अभियुक्तों ने उनके साथ लाठी-डण्डों से मारपीट की थी, जिसमें उसे, उसके माता-पिता को चोटें आई थीं और उसके दोनों हाथों में अस्थिभंग हो गया था तथा उसने इस घटना के तत्काल बाद पुलिस थाना ठीकरी में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जहां से उन तीनों को

मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया था और चिकित्सक साक्षी डॉ. आर. एस. मुजाल्दा (अ.सा.-3) ने भी मेडिकल परीक्षण करने पर आहत राजेन्द्र के बाएं व दाएं हाथ की अल्ना हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था। अपराध की विवेचना के दौरान विवेचक साक्षी उप निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक कमल दवाने (अ.सा.-5) ने भी चारों अभियुक्तों से एक-एक बबूल की लकड़ी जप्त की है। उक्त सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य का, बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में, कोई भी खण्डन नहीं हुआ है और ना ही बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई, जिससे अभियुक्तों का यह बचाव प्रमाणित हो कि उन्होंने अपने बचाव में उक्त घटना घटित की है। आहत साक्षी फुलजीबाई (अ.सा.-1) ने भी अभियुक्तों द्वारा सुबह लगभग 4 बजे उसके पिता व पुत्र के साथ मारपीट किए जाने के स्पष्ट कथन किए हैं। इस साक्षी का यह भी कथन रहा है कि उसके सिर में चोट आई थी और राजेन्द्र के सिर तथा शरीर के अन्य भागों में चोटें आई थीं। बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी यहां तक कि विवेचना अधिकारी कमल दवाने (अ.सा.-5) को यह सुझाव नहीं दिया गया कि घटना के समय अंधेरा था, इस कारण उन्होंने अभियुक्तों का चेहरा नहीं देखा था। ऐसी स्थिति में भी बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

19— इस प्रकार अभियोजन की सम्पूर्ण साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अभियुक्तों ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत फुलजीबाई और राजेन्द्र को उपहति कारित की तथा अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य होकर आहत साक्षियों को मारपीट करने के लिए एकसाथ लकड़ी, लट्ठ आदि से मारपीट करने के लिए एकसाथ आए थे। ऐसी स्थिति में आहत राजेन्द्र और फुलजीबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय होना भी प्रमाणित होता है, जिसके अनुसरण में अभियुक्तों ने सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी, लाठी आदि से मारपीट कर फरियादी व आहत राजेन्द्र (अ.सा.-2) को स्वैच्छ्या घोर उपहति कारित की तथा आहत फुलजीबाई (अ.सा.-1) को स्वैच्छ्या साधारण उपहति कारित की, जो कि क्रमशः भादवि की धारा 325/34 एवं 323/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हैं, जो अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

20— अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण रामपाल पिता जगन्नाथ यादव, बिंदा उर्फ बिंदादिन पिता जगन्नाथ यादव, विशाल पिता बिंदादीन यादव, लक्ष्मीबाई पति बिंदादीन यादव, निवासीगण बरूफाटक को आहत फुलजीबाई व राजेन्द्र के विरुद्ध किए गए अपराध अंतर्गत क्रमशः धारा 323/34 व 325/34 भादवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित करता है।

21— जहां तक, आहत कुंजीलाल को आई चोटों का संबंध है, उक्त साक्षी की मृत्यु हो जाने के कारण उसका परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया जा सका है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध भादवि की धारा 323/34 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त आहत के संबंध में भादवि की धारा 323/34 के अपराध आरोप से अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक 'अ' एवं 'द' पर सकारण निष्कर्ष —

22— प्रकरण की परिस्थितियों में साक्ष्य के दोहराव को रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

23— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में घटना के स्वयं फरियादी व आहत साक्षी राजेन्द्र (अ.सा.-2) व फुलजीबाई (अ.सा.-1) ने कोई भी कथन न्यायालय के समक्ष नहीं किए हैं कि उन्हें अभियुक्तों ने लोक स्थान पर क्षोभ कारित करने के आशय से अश्लील गालियां दीं अथवा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया हो। ऐसी स्थिति में घटना के फरियादी व आहत साक्षीगण द्वारा इस संबंध में कोई कथन नहीं किए जाने से अभियुक्तों के विरुद्ध भादवि की धारा 294 एवं 506 (भाग-दो) के दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ प्रदान कर भादवि की धारा 294 एवं 506 (भाग-दो) के अपराध आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है।

24— चूंकि अभियुक्तों को भादवि की धारा 323/34 व 325/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है और अभियुक्तों ने जिस तरह से सम्पत्ति के पुराने विवाद को लेकर अपने निकट के रिश्तेदारों से मारपीट कर आहत लक्ष्मीबाई को स्वैच्छया साधारण व राजेन्द्र को स्वैच्छया घोर उपहत्याएं कारित की हैं, उसे दृष्टिगत अभियुक्तगण को परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय का आलेखन थोड़ी देर के लिये स्थगित किया गया।

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

पुनश्च —

25— सजा के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. सत्संगी का निवेदन है कि आरोपीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर विचारण का लम्बे समय से सामना कर रहे हैं। अतः सद्भावनापूर्वक विचार किया जावे।

26— यह सही है कि अभियुक्तगण लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहे हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन विचारण में विलम्ब अभियुक्तों द्वारा स्वयं ही कारित किया गया है और साक्षीगण के उपस्थित होने के बावजूद उनका परीक्षण नहीं कराया जा सका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण सद्भावना के पात्र प्रतीत नहीं होते हैं। अतः मामले में आहतगण को आई चोटों, अपराध की प्रकृति व गम्भीरता और समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय अभियुक्त रामपाल पिता जगन्नाथ यादव, आयु 50 वर्ष, बिंदा उर्फ बिंदादिन पिता

जगन्नाथ यादव आयु 54 वर्ष, विशाल पिता बिंदादीन यादव, आयु 29 वर्ष, लक्ष्मीबाई पति बिंदादीन यादव, आयु 40 वर्ष, निवासीगण बरूफाटक को आहत राजेन्द्र के संबंध में किए गए अपराध अंतर्गत धारा 325/34 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए, उन्हें 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रुपये 300-300/- के अर्थदण्ड से दण्डित करता है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण को 15-15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

27— इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण को आहत लक्ष्मीबाई के विरुद्ध किए गए अपराध अंतर्गत धारा 323/34 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए, न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपये 300-300/- के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्तों को पृथक से 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

28— जहां तक, आहत राजेन्द्र के विरुद्ध किए गए भादवि की धारा 323/34 के अपराध आरोप का संबंध है, चूंकि भादवि की धारा 325/34 का अपराध, धारा 323/34 भादवि के अपराध आरोप से गुरुत्तर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आहत राजेन्द्र के विरुद्ध किए गए अपराध अंतर्गत धारा 323/34 भादवि के संबंध में अभियुक्तगण को पृथक से दण्डित नहीं किया जा रहा है। अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर प्रतिकर स्वरूप, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर, उसमें से आहत राजेन्द्र और फुलजीबाई को रुपये एक-एक हजार प्रदान किए जाएं, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

29— अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

30— दंप्रसं. की धारा 428 के अंतर्गत निरोध अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

31— प्रकरण में जप्तशुदा मशरूका बबूल की लकड़ियां मूल्यहीन होने से, अपील अवधि उपरांत अपील न होने पर नियमानुसार नष्ट की जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही / —
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.